BEFORE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY,

GWALIOR

Revision No. _____ /2010

APPLICANT : Smt. Neelam Trivedi, aged about 60 years, Widow of Late Trilok Chand Trivedi, resident of 18, Jawaharganj, Jabalpur (M.P.).

VERSUS

NON-APPLICANTS :

1. State of M.P. through the Sub-Registrar, Jabalpur.
2. Collector of Stamp, 500, First Floor, Marhatal, Jabalpur (M.P.).
3. Paresh Trivedi, aged.about 36 years, S/o Late Shri Trilok Chand Trivedi, resident of 18, Jawaharganj, Jabalpur (M.P.) at present at Plot No. 55, Sector 56, Flat No. 803, Gudgaon, Haryana.

REVISION UNDER SECTION 56 OF THE INDIAN STAMP ACT.

The applicant being aggrieved by the order dated 10.12.2009, passed by the learned Collector of Stamp in Case No. 47-B/103/07-08, State of M.P. through Sub-Registrar, Jabalpur Vs. Paresh Trivedi and another, files this Revision on the following facts and grounds :-

FACTS IN BRIEF

1. That, the non-applicant No.3 is a son of applicant was out of city of Jabalpur and had chance to go abroad for getting opportunity of good job, he executed a General Power of Attorney

---2

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 449–पीबीआर/10 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-2016	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 47/बी–103/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 10–12–09 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम (जिसे आगे स्टाम्प अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 कें तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर द्वारा उप पंजीयक, जबलपुर के अभिलेखों पर निरीक्षण अवधि अप्रेल 06 से मार्च 07 की कंडिका 2 में आलोच्य दस्तावेज क्रमांक 43 दिनांक 25–4–06 में आक्षेप लिए जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 4–12–07 को दर्ज किया जाकर आवेदक को सूचनापत्र जारी किया गया एवं आलोच्य आदेश द्वारा प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल 11,37,500/– अवधारित करते हुए कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क तथा शास्ति कुल रूपये 1,00,149/– जमा करने के आदेश दिए हैं । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये । उनके द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो आवेदक द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किए गए हैं । 4/ अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं रिकार्ड का तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्वान कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यो की विस्तार से विवेचना करते हुए संपत्ति के मूल्य का निर्धारण किया गया है, प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके आदेश में कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

सदस्य